


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स ए.डी. सार्ड सेन्टर

प्रकरण संख्या 447 / 2019 (धारा 14 सिविल रिटार्डिजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
13.09.2021	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय बैंक ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि का भुगतान नहीं किये जाने से प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है।</p> <p>प्रार्थी बैंक की ओर से 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज बैंक द्वारा प्रमाणित नहीं है। अप्रार्थी ऋणी को धारा 13 (2) के नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में रजिस्टर्ड ए.डी. की फोटो प्रति पेश नहीं की गई। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत सरफेशी एक्ट की धारा 14 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी वित्तीय बैंक पूर्ण दस्तावेज के साथ धारा 14 का प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत किये जाने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (अन्तर सिंह नेहरा)</p>	